जाति व आवासीय प्रमाण पत्र दो दिनों में

पटना। जाति, आय व आवासीय प्रमाण पत्र को अब आप तत्काल या सामान्य सेवा से बना सकते हैं। तत्काल सेवा के तहत जाति, आय व आवासीय प्रमाण पत्र दो कार्यदिवस में बनेंगे। जबकि सामान्य सेवा में यह 10 कार्यदिवस में बनेगा।

सामान्य प्रशासन विभाग ने आरटीपीएस के तहत शामिल सेवाओं में हुए संशोधन का आदेश जारी कर दिया है। विभाग के प्रधान सचिव डीएस गंगवार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार तत्काल सेवा के मद में लोगों से किसी तरह की कोई अतिरिक्त राशि नहीं ली जाएगी। वहीं आरटीपीएस से दो सेवाओं को बाहर कर दिया गया है। **हिब्यू**

सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी की अधिसूचना

सेवा	जवाबदेह	पहले	अब
चरित्र प्रमाण	डीएसपी	28 कार्यदिवस	14
लर्निंग लाइसेंस	डीटीओ	15 कार्यदिवस	7
लाइसेंस की द्वितीय कॉपी	डीटीओ	15 कार्यदिवस	7
अंतरराष्ट्रीय लाइसेंस	डीटीओ	30 कार्यदिवस	15
गाड़ियों का अस्थायी निबंधन	डीटीओ	15 कार्यदिवस	7
निबंधन की दूसरी कॉपी	डीटीओ	15 कार्यदिवस	7
टैक्स निर्धारण	डीटीओ	7 कार्यदिवस	1
पेट्रोल पंप लाइसेंस रिन्यूअल	डीटीओ	30 कार्यदिवस	15
दुरुस्ती प्रमाण पत्र	एमवीआई	10 कार्यदिवस	7
जाति प्रमाण पत्र	सीओ, एसडीओ,डीएम	14 कार्यदिवस	10
आवासीय प्रमाण पत्र	सीओ, एसडीओ, डीएम	14 कार्यदिवस	10
आय प्रमाण पत्र	सीओ, एसडीओ,डीएम	14 कार्यदिवस	10
जाति, आय व आवासीय	स्थानिक आयुक्त	28 कार्यदिवस	18